सदस्यता	स./Membership No.:	

## प.ऊ.शि.सं. कर्मचारी परिवार राहत योजना AEES EMPLOYEES' FAMILY RELIEF SCHEME

## सदस्यता प्रतिज्ञा प्रपत्र Membership Undertaking Form

विरष्ठ लेखा अधिकारी एवं सचिव, प.ऊ.शि.सं. (कर्मचारी) परिवार राहत योजना, प.ऊ.शि.सं., केंद्रीय कार्यालय, मबई- 400 094

नियुक्ति	के प्रस्ताव सं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		दिनांक	
हत भैंने,		्नाम), को अपना पदभार		, (विद्यालय एवं स्थान	
ाम), में	(दिनांक)	को अपना पदभार	(पदनाम) के रूप में ग्र	हण कर लिया है	
l,		(Name in block I	etters) have joined in	(Na	
f the school and o	place) as	(Designation) on dat	(Date of joinined	ng) vide offer of appointn	
लिया है		ा.ऊ.शि.सं. कर्मचारियों की पारिवारिक sions of the AEES Employees' Famil			
लिए सह	मत हूँ।	क राहत योजना के प्रावधानों, जो स of the AEES Employees' Family Reli			
हुए सभी I am aw	मैं अवगत हूँ कि मैं इस योजना का सदस्य हूँ और मुझे यह भी जात है कि 02/08/2016 या उसके बाद प.ऊ.शि.सं. सेवाओं में शामित हुए सभी कर्मचारियों के लिए सदस्यता अनिवार्य है। I am aware that I am enrolled as a member of the scheme and I understand that membership is mandatory for all employees who have joined AEES services on or after 02/08/2016.				
	मैं वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रधानाचार्य को मेरी वेतन से ₹10/- की सदस्यता शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ   authorize Sr. Accounts Officer/Principal to recover membership fee of ₹ 10/- from my salary.				
का भुगत I hereby	नान मेरे वेतन से कटौती करवे	ो/प्रधानाचार्य को अधिकृत करता/कर ह या आवश्यकता पड़ने पर वसूल व er/Principal to collect my contributio cessary.	<b>नरें</b>		
				कर्मचारी के हस्त (Signature of the emplo	
			Q:		

## केवल कार्यालय उपयोग हेतु / FOR OFFICE USE

यह प्रमाणित किया जाता है कि: This is to certify that:

1.	श्री/श्रीमती/सुश्री		ने इस विद्यालय/कार्यालय में			
	पद पर					
	Shri/Smt/Ms w.e.f	·	has joined this school/office in the			
2.	उनका वेतन स्तर तथा मूल वेतन					
	His/Her Pay Level is and Basic Pay is	as per offer of ap	ppointment.			
3.	उनके वेतन से ₹ 10/- (केवल दस रुपये) की प.रा.यो. स जाएगी और योगदान की वसूली के साथ प्रेषित की जाए	•	के लिए वसूल की			
	FRS membership fee of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) will be recovered from his/her salary for the month of and remitted along with the recovery of FRS contribution.					
		प्रधानाः	पार्य प.ऊ.कें.वि./क.महा.वि Principal, AECS/JC			
अग्रषित	T/Forwarded to:					
वरिष्ठ	लेखा अधिकारी एवं सचिव,					
प.ऊ.शि.	ा.सं. (क) प.रा.यो.,  प.ऊ.शि.सं.,  मुंबई					
	ounts Officer & Secretary, E) F.R.S., AEES, Mumbai					